भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 6
दिनांक 21 जून, 2019 को उत्तर के लिए

पॉक्सो अधिनियम

*6. श्री विनायक भाऊराव राऊतः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

देश में महाराष्ट्र सहित राज्य-वार विगत तीन वर्षों के दौरान लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के अंतर्गत दर्ज किए गए मामलों की कुल संख्या तथा जांचाधीन/विचाराधीन मामलों की संख्या कितनी है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

*****

'पॉक्सो अधिनियम' विषय पर श्री विनायक भाऊराव राऊत द्वारा दिनांक 21 जून, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 6 में संदर्भित विवरण

बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत बच्चों के साथ अपराधों के संबंध में वर्ष 2014, 2015 और 2016 में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित अद्यतन सूचना के अनुसार गृह मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत मामलों तथा जांच किए जा रहे/न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	पंजीकृत मामलों की संख्या	वर्ष के अंत में जांच के लिए लंबित मामलों की संख्या	वर्ष के अंत में सुनवाई के लिए लंबित मामलों की संख्या
2014	34449	9383	52308
2015	34505	12069	71552
2016	36022	15283	90205

महाराष्ट्र राज्य के संबंध में सूचना इस प्रकार :

वर्ष	पंजीकृत मामलों की संख्या	वर्ष के अंत में जांच के लिए लंबित मामलों की संख्या	वर्ष के अंत में सुनवाई के लिए लंबित मामलों की संख्या
2014	3926	1518	11264
2015	4816	2477	14147
2016	4815	2859	17338

पंजीकृत मामलों और वर्ष के अंत में जांच तथा सुनवाई के लिए लंबित मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या क्रमशः अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II में दी गई है ।

***

अनुलग्नक-I

'पॉक्सो अधिनियम' विषय पर श्री विनायक भाऊराव राऊत द्वारा दिनांक 21 जून, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 6 में संदर्भित विवरण, जिसमें वर्ष 2014-2016 के दौरान पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों तथा वर्ष के अंत में न्यायालय में लंबित मामलों (सीपीआईईवाई) की संख्या दी गई है

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014		2015		2016	
		दर्ज मामले	सीपीआईईवाई	दर्ज मामले	सीपीआईईवाई	दर्ज मामले	सीपीआईईवाई
1	आंध्र प्रदेश	932	631	1054	856	830	851
2	अरुणाचल प्रदेश	56	12	54	24	59	29
3	असम	506	229	819	494	821	718
4	बिहार	191	39	187	64	233	139
5	छत्तीसगढ़	1684	117	1656	147	1570	111
6	गोवा	107	90	79	56	75	69
7	गुजरात	613	103	1609	291	1408	303
8	हरियाणा	707	39	988	75	1020	102
9	हिमाचल प्रदेश	209	54	206	48	205	51
10	जम्मू और कश्मीर	45	14	30	10	25	7
11	झारखंड	112	22	182	59	348	148
12	कर्नाटक	1380	380	1526	585	1565	764
13	केरल	1392	822	1486	992	1848	1067
14	मध्य प्रदेश	4995	188	4624	168	4717	200
15	महाराष्ट्र	3926	1518	4816	2477	4815	2859
16	मणिपुर	50	144	43	144	43	144
17	मेघालय	118	206	167	252	151	231
18	मिजोरम	165	51	169	25	167	39
19	नागालैंड	17	11	15	11	27	10
20	ओडिशा	1126	374	1372	515	1928	850
21	पंजाब	652	224	666	324	596	445
22	राजस्थान	1327	117	1311	124	1479	130
23	सिक्किम	70	12	55	18	92	34
24	तमिलनाडु	1065	564	1544	782	1583	1085
25	तेलंगाना	924	500	1394	776	1158	895
26	त्रिपुरा	245	64	133	41	156	56
27	उत्तर प्रदेश	8009	834	4541	665	4954	875
28	उत्तराखंड	189	18	168	36	218	70
29	पश्चिम बंगाल	1291	928	1504	583	2132	1200
	कुल राज्य	32103	8305	32398	10642	34223	13482
30	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	29	8	39	7	49	20
31	चंडीगढ़	49	15	62	16	51	24
32	दादर और नगर हवेली	2	0	15	4	11	1
33	दमन और दीव	1	0	5	1	10	5
34	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2240	1049	1936	1380	1620	1721
35	लक्षद्वीप	1	0	1	1	5	2
36	पुद्दुचेरी	24	6	49	18	53	28
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	2346	1078	2107	1427	1799	1801
	कुल (अखिल भारत)	34449	9383	34505	12069	36022	15283

अनुलग्नक II

'पॉक्सो अधिनियम' विषय पर श्री विनायक भाऊराव राऊत द्वारा दिनांक 21 जून, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 6 में संदर्भित विवरण, जिसमें वर्ष 2014-2016 के दौरान पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत वर्ष के अंत में सुनवाई के लिए लंबित मामलों (सीपीटीईवाई) की संख्या दी गई है

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014	2015	2016
		सीपीटीईवाई	सीपीटीईवाई	सीपीटीईवाई
1	आंध्र प्रदेश	1110	1344	1550
2	अरुणाचल प्रदेश	75	113	101
3	असम	203	616	1005
4	बिहार	462	545	653
5	छत्तीसगढ़	2491	2985	2562
6	गोवा	226	287	288
7	गुजरात	1115	2371	3606
8	हरियाणा	554	893	1275
9	हिमाचल प्रदेश	423	531	596
10	जम्मू और कश्मीर	58	63	71
11	झारखंड	84	170	307
12	कर्नाटक	1458	2489	3529
13	केरल	3104	4165	5637
14	मध्य प्रदेश	7025	8928	10950
15	महाराष्ट्र	11264	14147	17338
16	मणिपुर	24	52	85
17	मेघालय	377	482	563
18	मिजोरम	135	222	307
19	नागालैंड	4	10	24
20	ओडिशा	1695	2608	3843
21	पंजाब	334	400	509
22	राजस्थान	2558	3207	4011
23	सिक्किम	49	39	97
24	तमिलनाडु	1318	2196	2711
25	तेलंगाना	1182	1799	2507
26	त्रिपुरा	292	359	411
27	उत्तर प्रदेश	10147	13147	15938
28	उत्तराखंड	155	168	284
29	पश्चिम बंगाल	1337	3047	4316
	कुल राज्य	49259	67383	85074
30	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	131	168	196
31	चंडीगढ़	35	57	45
32	दादर और नगर हवेली	7	17	23
33	दमन और दीव	7	11	17
34	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	2841	3884	4769
35	लक्षद्वीप	1	1	6
36	पुद्दुचेरी	27	31	75
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	3049	4169	5131
	कुल (अखिल भारत)	52308	71552	90205

टिप्पणी : सीपीटीईवाई - वर्ष के अंत में सुनवाई के लिए लंबित मामले

स्थिति संख्या : 6

'पॉक्सो अधिनियम' विषय पर श्री विनायक भाऊराव राऊत द्वारा दिनांक 21 जून, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 6 में संदर्भित विवरण

कार्यकारी सारांश

प्रश्न का बल :

श्री विनायक भाऊराव राऊत, संसद सदस्य (लोक सभा) ने 21.06.2019 को उत्तर के लिए तारांकित प्रश्न संख्या 6 पूछा है ।

प्रश्न का बल पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत लंबित मामलों की जानकारी प्राप्त करना है । तदनुसार, पूछा गया है कि पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत कितने मामले दर्ज किए गए, कितने मामलों की जांच चल रही है और कितने मामले न्यायालयों में सुनवाई के लिए लंबित हैं । प्रश्न में पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत जांच तथा सुनवाई दोनों स्तरों पर मामलों के निपटान की दर की जानकारी भी मांगी गई है ।

उत्तर का बल :

उत्तर का बल गृह मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना पर आधारित है । दिए गए आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट पर आधारित हैं । भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' तथा 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं । कानून और व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करने का दायित्व मूल रूप से संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है । अपराधों और अपराधियों के संबंध में सूचना संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा रखी जाती है । राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आंकड़े इकट्ठा कर उनका संकलन तथा सत्यापन करता है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पुनर्पुष्टि के पश्चात इन आंकड़ों/सांख्यिकी को राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट 'भारत में अपराध' में प्रकाशित किया जाता है ।

मंत्रालय ने बच्चों को यौन दुर्व्यवहार और शोषण से संरक्षण प्रदान करने के लिए विशेष कानून के रूप में 'बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 शुरू किया था । राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो ने पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत आने वाले

अपराधों के मामलों के संबंध में आंकड़े इकट्ठा करने का कार्य वर्ष 2014 से प्रारंभ किया । तत्पश्चात वर्ष 2015 और 2016 की रिपोर्टें प्रकाशित की गईं । वर्ष 2017 और उससे आगे के आंकड़े एनसीआरबी द्वारा अभी प्रकाशित किए जाने हैं । चूंकि इन वर्षों से संबंधित आंकड़ों में कुछ विषमताएं पाई गई थीं, इसलिए इन आंकड़ों का राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से सत्यापन किया जा रहा है ।

वर्ष 2014-16 के संबंध में दिए गए आंकड़ों के अनुसार पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत दर्ज किए गए मामलों में वृद्धि का रूख देखा गया है । वर्ष 2014 में कुल 34,449 मामले दर्ज किए गए, जबकि वर्ष 2015 में 34,505 और 2016 में 36,022 मामले दर्ज किए गए, जो कि 2014 की तुलना में 2015 में 0.2% और 2015 की तुलना में 2016 में 4.4% की वृद्धि दर्शाते हैं । महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट प्रचार माध्यमों, संबंधित पक्षों के साथ परामर्श बैठकों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जागरुकता पैदा करने के लिए समय-समय पर विभिन्न कदम उठाए हैं । इसके अलावा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) तथा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) को भी पॉक्सो अधिनियम, 2012 के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने का अधिदेश प्राप्त है ।

प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार जांच के स्तर पर और सुनवाई के स्तर पर लंबित मामले इस प्रकार हैं :

वर्ष	वर्ष के अंत में जांच के लिए लंबित मामलों की संख्या	वर्ष के अंत में सुनवाई के लिए लंबित मामलों की संख्या
2014	9383	52308
2015	12069	71552
2016	15283	90205

मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संसाधन मुहैया कराना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का अधिदेश है । गृह मंत्रालय ने दो माह के भीतर समय पर और कुशलतापूर्वक जांच का कार्य पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए विधि प्रवर्तन अधिकारियों तथा पुलिस में उच्च अधिकारियों के लिए ऑनलाइन प्रणाली, अर्थात 'यौन अपराधों की जांच की ट्रैकिंग प्रणाली' स्थापित की है, जिससे कि यौन आक्रमण के मामलों की समय-बद्ध आधार पर जांच पर निगरानी रखी जा सकती है । सीसीटीएनएस आंकड़ों पर आधारित यह एक विश्लेषणात्मक तरीका है ।

पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 28 में शीघ्र सुनवाई के प्रयोजनार्थ विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है । इसके अतिरिक्त, पॉक्सो अधिनियम की धारा 35 में यह प्रावधान है कि विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेने के 30 दिनों के भीतर बच्चे का साक्ष्य रिकार्ड किया जाएगा और विलंब, यदि कोई हो, के कारण विशेष न्यायालय द्वारा रिकार्ड किए जाएंगे । इसके अतिरिक्त, धारा 35 में यह भी निर्धारित है कि विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान लेने की तारीख से, जहां तक संभव हो, एक वर्ष की अवधि के भीतर सुनवाई पूरी कर लेगा ।

*****